

(14)

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय गोड्डा

आर० ई० आर वाद संख्या 17/2014.2015

अंचल अधिकारी पोडैयाहाट

वनाम

सुदर्शन साह

—:आदेश:—

07.01.2023

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित।

अंचल अधिकारी पोडैयाहाट के पत्रांक 492/रा० दिनांक 14.11.2014 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा पोडैयाहाट थाना न० 121 खाता संख्या 75 खेसरा संख्या 1585 हल्का संख्या 07 रकवा 00-04-06 धूर जमीन जो खतियान में मूल जमाबंदी रैयत मान सिंह मुर्मू वो मरांग मुर्मू पे० वो जटा मुर्मू वो गरमू मुर्मू वो राम मुर्मू पे० दशरथ मुर्मू साकिन पोडैयाहाट जिला गोड्डा के नाम से दर्ज है।

अंचल अधिकारी पोडैयाहाट द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सुदर्शन साह पिता सुरेन्द्र साह द्वारा खेसरा संख्या 1585 रकवा 00-03-00 धूर आदिवासी भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना लिया गया है।

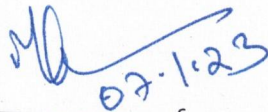
अवैध दखलकार को नोटिश किया गया। श्री सुदर्शन साह पिता सुरेन्द्र साह द्वारा अपना पक्ष रखने में अभिरुचि नहीं लिया जा रहा है।

भूमि का हस्तान्तरण संधाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 20 के अनुरूप नहीं है।

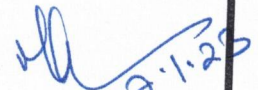
संधाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अंतर्गत उपरोक्त भूमि अवैध रूप से अंतरित एवं दखल कब्जा किये गये भूमि का उच्छेद का आदेश दिया जाता है।

अंचलधिकारी पोडैयाहाट अवैध रूप से दखल किए गए भूमि का उच्छेद कर वर्तमान जमाबंदी रैयत को दखल दिलाना सुनिश्चित करे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


07.1.23

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
गोड्डा।


07.1.23

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
गोड्डा।